छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा   नवम् सत्र   अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2012

(फाल्गुन-26, शक संवत 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज माननीय श्री महेश गागड़ा का जन्म दिवस है। मैं अपनी तथा सदन की ओर से उन्हें स्वस्थ जीवन एवं लम्बे संसदीय जीवन हेतु शुभकामनाएं देता हूं।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 एवं 03 से 15 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री दूजराम बौद्ध अनुपस्थित रहे।

प्रश्न संख्या 04 की प्रश्नकर्त्ता सदस्य डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी के स्थान पर श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित एवं 28 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने -

(1) छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष-2011-2012,

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011, एवं

(3) श्री सिद्धनाथ पैकरा, संसदीय सचिव ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 19-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य - (अनुपस्थित)

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने जगदलपुर एवं सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा क्रेशर प्लांटों व वाहनों को आग लगाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) महंत श्री रामसुंदर दास, सदस्य ने ग्राम लखुर्री से रीवांडीह एवं पृथक रीवांडीह तक पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण शीघ्र किये जाने,

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला कबीरधाम के तहसील बोडला के गरीब किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने,

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों को भुगतान न मिलने, एवं

(4) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने इंद्रावती नदी पर तिमेड़ घाट में प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के 11 वर्ष बाद भी पुल का निर्माण प्रारंभ नहीं होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-24, मरवाही के सदस्य श्री अजीत जोगी द्वारा मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र में दिनांक 16 मार्च, 2012 से सात दिनों तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की, एवं

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-25, कोटा की सदस्य डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी द्वारा मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र में दिनांक 16 मार्च, 2012 से सात दिनों तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

7. वर्ष 2011-2012 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 55, 56, 64, 65, 69, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **दो सौ चौरानबे करोड़, अड़तीस लाख, छियालिस हजार, दो सौ रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री परेश बागबाहरा,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री लेखराम साहू, फूलचंद सिंह, सौरभ सिंह, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, नंदकुमार पटेल, (जारी)

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री नंदकुमार पटेल।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2012 (क्रमांक-1 सन् 2012)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2012 (क्रमांक-1 सन् 2012) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2012 (क्रमांक-1 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

9. अशासकीय संकल्प

(1) सदन का यह मत है कि " प्रदेश के धान खरीदी केन्द्रों में अहाता निर्माण एवं सीमेंट कांक्रीटयुक्त चबूतरा निर्माण कराया जाय।"

महंत श्री रामसुंदर दास, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी,

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प में संशोधन प्रस्तावित किया कि संकल्प में वाक्यांश "अहाता निर्माण एवं " हटाया जाय।

महंत श्री रामसुंदर दास, सदस्य ने इस हेतु अपनी सहमति व्यक्त की । तद्नुसार "प्रदेश के धान खरीदी केन्द्रों में सीमेंट कांक्रीटयुक्त चबूतरा निर्माण कराया जाय।"

यथासंशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "बिलासपुर-रीवा-बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन को बिलासपुर के स्थान पर रायपुर-रीवा-रायपुर एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाय।"

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, विरेन्द्र कुमार साहू।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनाँक 17 मार्च, 2012 (फाल्गुन, 27 शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा